

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 472/2024

सुरेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री धरम सिंह गुर्जर, जाति -गुर्जर, आयु लगभग 39 वर्ष, (वर्तमान में राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (रूड्डप), पीयू जोधपुर में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत), 118, अंबे नगर पाली रोड, जोधपुर, जिला जोधपुर (राजस्थान) के निवासी---याचिकाकर्ता।

बनाम

1. प्रमुख सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर, राजस्थान राज्य, राजस्थान सरकार के माध्यम से।
2. कुलसचिव एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर, के माध्यम से----  
उत्तरदाता।

याचिकाकर्ताओं के लिए:- श्री हर्षवर्धन सिंह चुण्डावत।

प्रत्यर्थी (ओं) के लिए:- श्री सुनील जोशी, श्री एस. पी. जोशी।

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

15/01/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए नरेगा, सवाई माधोपुर द्वारा जारी उनके कार्य अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार न करने के खिलाफ है, इस आधार पर कि उन्होंने इसे देर से प्रस्तुत किया था। उनका तर्क है कि उन्होंने समय पर आवेदन किया लेकिन संबंधित समय पर राज्य में चल रहे चुनावों के कारण उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया, और इस प्रकार उन्हें देरी के संबंध में प्रतिकूल परिणामों के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

2. संक्षिप्त प्रासंगिक तथ्यात्मक विवरण, जैसा कि अनुरोध किया गया है, इस प्रकार है:-

2.1 कार्यालय, एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर ने सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर नियुक्तियों के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया। याचिकाकर्ता ने, सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए पात्र होने के कारण, अंतिम तिथि यानी 18.11.2023 से पहले एक ऑनलाइन आवेदन जमा किया।

2.2. याचिकाकर्ता ने पंचायत समिति, सवाई माधोपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र को छोड़कर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। याचिकाकर्ता प्रमाण पत्र प्रदान नहीं कर सका क्योंकि संबंधित अधिकारी राज्य चुनावों के कारण उस समय उपलब्ध नहीं थे।

2.3. याचिकाकर्ता के पास अनुभव प्रमाण पत्र होता है, जिससे वह संबंधित पद के लिए बोनस अंकों के लिए पात्र हो जाता है। इस बात की प्रबल संभावना है कि यदि याचिकाकर्ता के अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार किया जाता है, तो उसका चयन किया जाएगा। इसलिए, याचिकाकर्ता ने अनुभव प्रमाण पत्र की स्वीकृति का अनुरोध करते हुए 22.12.2023 को एमबीएम विश्वविद्यालय के कुलसचिव को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। हालाँकि, प्राधिकरण ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है, जिससे यह रिट याचिका दायर की गई है।

3. मामले की सुनवाई की गयी।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र को प्रस्तुत न करने की गलती याचिकाकर्ता की ओर से नहीं थी। संबंधित समय पर राज्य में चल रहे चुनावों के कारण वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए, प्रतिवादी अधिकारियों को इस पर विचार करना चाहिए। वह आगे प्रस्तुत करता है कि यदि प्रमाण पत्र पर विचार किया जाता है और याचिकाकर्ता को लागू बोनस अंक दिए जाते हैं, तो संभावना है कि उसे संबंधित पद के लिए चुना

जाएगा। इस प्रकार वह याचिकाकर्ता के अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना करता है। जबकि दूसरी ओर उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता को देर से कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

5. प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि उत्तरदाताओं का आचरण और रुख बहुत कठोर है, और किसी भी मामले में, कार्य प्रमाण पत्र जमा करने में याचिकाकर्ता की देरी उसके कारण नहीं है, बल्कि विशिष्ट परिस्थितियों के कारण है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

6. रिकॉर्ड से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रासंगिक समय पर आसन्न चुनावों के कारण, भले ही याचिकाकर्ता ने कार्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समय पर सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किया, लेकिन चुनाव के कारण उनका अनुरोध लंबित रखा गया था।

7. इस आधार पर, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कार्य प्रमाण पत्र पर कानून के अनुसार अनंतिम रूप से विचार करें। इसका लाभ उसे इसकी सत्यता और वास्तविकता के सत्यापन के बाद दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, जैसा कि कहा गया है, वह उसके लिए जिम्मेदार नहीं था।

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।